मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 13 .02.2017

क्र. एफ 16-18/2016/ए-ग्यारह: राज्य शासन द्वारा मेसर्स हेटिच इंडिया प्रा.लि. द्वारा सेक्टर-5, औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में प्लांट एवं मशीनरी में रू. 398.00 करोड़ के पूंजी निवेश से फर्नीचर फिटिंग्स निर्माण इकाई की स्थापना संबंधी प्रस्ताव पर विचारोपरांत निम्नानुसार सुविधायें दिये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. उद्योग संवर्धन नीति, 2014 अंतर्गत -

(i) **भूमि आवंटन में रियायत-** 25 एकड भूमि सेक्टर-5, औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर, जिला धार का आवंटन रू. 50 लाख प्रति एकड़ (विकास शुल्क सहित) की दर पर।

(ii) **वेट एवं सीएसटी पर सहायता-** 7 वर्षो हेतु 75 प्रतिशत की दर से प्लान्ट एवं मशीनरी में किये गये पूंजी निवेश की 100 प्रतिशत की सीमा तक शर्तों के अध्याधीन दिया जावे। कुल सहायता इकाई द्वारा जमा किये गये कर से अधिक नहीं होगी।

(iii) **प्रवेश कर से छूट-** प्रथम कच्चा माल क्रय दिनांक से 5 वर्षो हेतु दी जावे।

(iv) **विद्युत शुल्क पर छूट-** ऊर्जा विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.03.2014 में प्रावधान अनुसार 33 केव्ही कनेक्शन के लिए 5 वर्षो की अवधि, 132 केव्ही कनेक्शन के लिए 7 वर्षो की अवधि एवं 220 केव्ही कनेक्शन के लिए 10 वर्षो की अवधि तक शर्तो के अध्याधीन विद्युत शुल्क से छूट दी जावे।

(v) उद्योग नीति, 2014 अंतर्गत अन्य सभी सुविधाएं प्रचलित नियमों के अनुसार दी जावे।

2. **अन्य सुविधाएं-**

(I) **विद्युत टैरिफ में रियायत-** मध्यप्रदेश नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2016-17 हेतु जारी विद्युत टैरिफ आदेश में प्रावधानित उच्च दाब उपभोक्ताओं को नवीन संयोजन प्राप्त करने पर रू. 1.00 (रुपया एक) प्रति यूनिट अथवा 20 प्रतिशत की छूट जो भी कम हो, का लाभ शर्तो के अध्याधीन दिया जावे।

3. जीएसटी प्रणाली लागू होने पर, कंपनी की परियोजनाओं को वेट एवं सीएसटी की सहायता समानुपातिक रूप से निरंतर देय होगी। कुल सहायता राशि इकाईयों द्वारा जमा किये गये कर से अधिक नहीं होगी।

4. कम्पनी की परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष में परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जावेगा।

5. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

13/4/17

(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग

क्रमांक एफ 16-18/2016/ए-ग्यारह
भोपाल, दिनांक 13 .02.2017

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
4. आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर।
5. कलेक्टर, जिला धार।
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इंदौर) लि., इंदौर ।
7. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स हेटिच इंडिया प्रा.लि., ए-26/4, प्रथम तल, मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज एस्टेट-, नई दिल्ली -110044

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव